अध्याय-2

निगमन

Chapter-II

Incorporation

3. सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि— (1) सरकार की यह नीति होगी कि राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया जाये और इस दिशा में ऐसे कदम उठाये जायें जो आवश्यक या वांछनीय हों।

3. Promotion of Co-operative movement.— It shall be the policy of the Government to encourage and promote the co-operative movement in the State and to take such steps in this direction, as may be necessary or desirable.

4. रजिस्ट्रार— (1) सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी तथा उसकी सहायता करने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन की रजिस्ट्रार की समस्त या कोई भी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी, या किसी भी सोसाइटी के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी। सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश भी दे सकेगी कि इस अधिनियम या नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त या प्रत्यायोजित की गई हैं, रजिस्ट्रार के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4. Registrar.— (1) The Government may appoint a person to be the Registrar

of Co-operative Societies for the State and may appoint other persons to assist him.

(2) The Government may, by general or special order, and subject to such conditions as it may think fit to impose, confer on any person appointed to assist the Registrar, or may delegate to any officer of any society, all or any of the powers of the Registrar under this Act. The Government may also, by notification, direct that all or any of the powers exercisable by it under this Act or the rules may be exercised by the Registrar or such other officer, and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification. Every person, conferred on or delegated with the powers of the Registrar shall exercise such powers, subject to the general superintendence and control of the Registrar.

5. सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन— (1) जहां,-

(क) कम से कम पन्द्रह व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कुटुम्ब का सदस्य हो, अनुसूची-क में यथाविनिर्दिष्ट सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कतिपय सहकारी क्रियाकलापों का जिम्मा लेने के उद्देश्यों से सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखते हैं; या

(ख) कम से कम पाँच सहकारी सोसाइटियां, ऐसी सोसाइटियों के उद्देश्यों को सुकर बनाने के उद्देश्य से अन्य सहकारी सोसाइटी बनाने का आशय रखती हैं,

वहां वे ऐसी उपविधियां, जिन्हें वे अंगीकार करना चाहते हैं, संलग्न करते हुए रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से आवेदन करेंगे जो विहित की जाये:

परन्तु न्यूनतम शेयर पूँजी सोसाइटी के संबंधित वर्ग, जैसा कि नियमों के अधीन वर्गीकृत किया गया हो, के लिए विहित न्यूनतम शेयर पूँजी, यदि कोई हो, से कम नहीं होगी और सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक शेयर धारित करना आवश्यक होगा।

(2) इस प्रकार संलग्न उपविधियां, अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट विषयों पर विनिर्दिष्ट होंगी और साधारणत: नियमों में यथाविहित, सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग के व्यापक परिमापों के अनुरूप होंगी जिनमें सोसाइटी का उसके प्रमुख उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, सदस्यता, या कोई भी अन्य मानदण्ड, जो विहित किये जायें, के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है।

(3) कोई सहकारी सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी और जहां कोई सोसाइटी परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है तो शब्द 'परिसीमित' या अंग्रेजी भाषा में इसका पर्यायवाची इसके नाम का अन्तिम शब्द होगा:

परन्तु किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी का दायित्व, जिसकी सहकारी सोसाइटी सदस्य है, परिसीमित होगा।

5. Application for Registration of co-operative societies.— (1) Where,-

(a) atleast fifteen number of persons, each of them being a member of a different family, intend to form a co-operative society having objects to undertake certain co-operative activities, for promotion of the economic interests of its members in accordance with the co-operative principles as specified in Schedule A; or

(b) atleast five number of co-operative societies, intend to form another co-operative society, with the object of facilitating the objects of such societies,

they shall, appending the bye-laws they wish to adopt, apply to the Registrar in the manner as may be prescribed :

Provided that the minimum share capital shall not be less than the prescribed minimum share capital, if any, for the respective class of society as classified under the rules and that it shall be necessary for every member of the society to hold atleast one share.

(2) The bye-laws, so appended with, shall be specific on the matters specified in the schedule 'B', and shall, in general, conform the broad parameters of the class or sub-class of societies, as prescribed in the rules, in which the society is intended to be registered according to its core objects, area of operation, membership or any other criterion, as may be prescribed.

(3) A co-operative society may be registered with limited or unlimited liability and where a society is registered with limited liability, the word 'Limited' or its synonym in Hindi language shall form the last word in its name :

Provided that the liability of a co-operative society, which has a co-operative society as its member, shall be limited.

6. रजिस्ट्रीकरण— (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है-

(क) कि प्रस्तावित सोसाइटी उसके प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में सुस्थ कारबार की अपेक्षाओं का पालन करती है;

(ख) कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन करता है;

(ग) कि प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है; और

(घ) कि प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धांतों से असंगत नहीं हैं और प्रदेश की विधियों के अल्पीकरण में नहीं हैं,

तो वह, आवेदन के प्रस्तुत किये जाने से साठ दिन के भीतर-भीतर यथाविहित वर्ग या उपवर्ग के अधीन इसकी उपविधियों सहित सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाणपत्र जारी करेगा जो इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाये कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रद्द कर दिया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उप-धारा (1) में अधिकथित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया है तो वह, ऐसे आवेदकों को, जो विहित किये जायें, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आवेदन के प्रस्तुत किये जाने से साठ दिन के भीतर-भीतर नामंजूरी के आदेश से, उसके कारणों सहित, संसूचित करेगा।

(3) यदि उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर किसी नामंजूरी से संसूचित नहीं किया जाता है तो आवेदक ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर-भीतर उनके आवेदन पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेंगे और रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर इसका विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जावेगी।

6. Registration.— (1) if the Registrar is satisfied -

(a) that the proposed society complies with the requirements of sound business in its proposed area of operation;

(b) that the application complies with the provisions of this Act and the rules;

(c) that the proposed bye-laws are not contrary to the provisions of this Act and the rules; and

(d) that the aims of the proposed society are not inconsistent with the principles of social justice, co-operation and public morality and are not in derogation to the laws of the land,

he shall, within sixty days from the submission of the application, register the co-operative society together with its bye-laws under the class or sub-class, as prescribed and issue a certificate thereof under his hand and seal, which shall be the conclusive evidence of the fact that the society is duly registered under this Act unless proved that such registration has been cancelled by the Registrar under the provisions of this Act.

(2) If the Registrar finds that any one of the conditions laid down in sub-section (1) is not satisfied, he shall, after giving such of the applicants, as may be prescribed, an opportunity of being heard, communicate the order of refusal together with the reasons thereof, within sixty days from the submission of the application.

(3) If no refusal is communicated within the period specified under sub-section (2), the applicants may, within thirty days from the expiry of such period, move, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, where the registering authority is sub-ordinate to him, and the Government, where the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan is himself the registering authority, for decision on their application and the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan or the Government, as the case may be, shall within thirty days of receipt of the application, decide it and issue necessary and decisive directions to the registering authority, failing which the society shall be deemed to be registered.

7. सहकारी सोसाइटियों का निगमित निकाय होना— रजिस्ट्रीकरण हो जाने से सहकारी सोसाइटी उस नाम से, जिससे उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है, निगमित निकाय बन जायेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी तथा जिसे सम्पत्ति धारण करने, संविदा करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और उनका प्रतिवाद करने की तथा जिन प्रयोजनों के लिए वह गठित की गई थी, उनके लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होगी।

7. Co-operative Societies to be bodies corporate.— The registration of a co-operative society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and a common seal, and with power to hold

property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purposes for which it was constituted.

8. उपविधियाँ— (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के कृत्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के सैट द्वारा विनियमित किये जायेंगे, जिसकी विषयवस्तु अनुसूची-ख के रूप में संलग्न है और उनमें कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का कोई संशोधन, ऐसे दिन से प्रवृत्त होगा जिसको उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जब तक कि उसमें किसी विशिष्ट दिन को उसका प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं किया जाये।

8. Bye-laws.— (1) Subject to the provisions of this Act and the rules, functions of every co-operative society shall be regulated by a set of bye-laws registered under this Act, the subject matter of which is enclosed as Schedule B; and no amendment therein shall be valid unless such amendment has been registered by the Registrar under the provisions of this Act.

(2) An amendment of the bye-laws of a co-operative society shall, unless it is expressed to come into operation on a particular day, come into force on the day, on which it is registered.

9. सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन— (1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी अपनी साधारण निकाय में पारित विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का विनिश्चिय कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, वहां रजिस्ट्रार, इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवायेगा तथा ऐसे प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर-भीतर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्टर में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को तदनुसार संशोधित करेगा।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन से सहकारी सोसाइटी के अधिकारों या बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध की गयी कोई भी विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं हो जायेंगी, और कोई भी विधिक कार्यवाहियां, जो सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू हों या प्रारंभ की गई हों, उसके नये नाम से चालू रखी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

9. Change of name of co-operative society.— (1) Where a co-operative so-

ciety after having decided to change its name, by a special resolution passed in its general body meeting, applies to the Registrar, the Registrar shall cause published a public notice to this effect and after considering the objections, if any, received within one month of such publication, enter the new name on the register of co-operative societies in place of the former name and shall amend the certificate of registration accordingly.

(2) The change of name of a co-operative society shall not affect any rights or obligations of the co-operative society, or render defective any legal proceedings by or against it; and any legal proceedings which may have been continued or commenced by or against the society by its former name may be continued or commenced by its new name.

10. उपविधियों का संशोधन— (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव, सोसाइटी द्वारा उसके साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा उसे पारित कर दिये जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक हैं तो, वह संशोधन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर-भीतर उसका प्रमाणपत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार जारी, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया गया प्रमाणपत्र इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है जो उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक हैं तो वह उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, उसके प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसे सोसाइटी को वापस भेजेगा।

(3) जहां सोसाइटी उप-धारा (2) के अधीन यथा-अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात्, प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे तो रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन का साठ दिन के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकरण करेगा, यदि उसका उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति से समाधान हो जाता है या अन्यथा नामंजूरी के अपने आदेश से सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(4) यदि कोई नामंजूरी उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर संसूचित नहीं की जाती है तो सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर विनिश्चय के लिए ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका

अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेगी और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार ऐसे संशोधन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर प्रस्तावित संशोधन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा।

10. Amendment of bye-laws.— (1) Every proposal for an amendment of the bye-laws of a society, after it has been passed by the society in its general body meeting by a special resolution, shall be forwarded to the Registrar in the manner as may be prescribed and if the Registrar is satisfied that the proposed amendment fulfils the requirements, as are essential for the registration of bye-laws under section 6, he shall register the amendment and issue a certificate thereof within sixty days from the date of submission. The certificate so issued, signed and sealed by the Registrar shall be the conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

(2) If the Registrar feels that the proposed amendment does not fulfil the requirements, as are essential for the registration of bye-laws, he shall, alongwith his comments thereon, send it back to the society, for reconsidering it, within sixty days of its submission.

(3) Where the society, after reconsideration as required under sub-section (2), submits the proposal again, the Registrar shall, within sixty days, register the proposed amendment, if he is satisfied with the fulfillment of the requirements essential for the registration of bye-laws or else communicate his order of refusal to the society.

(4) If no refusal is communicated within the period specified under sub-section (3), the society may, within thirty days from the expiry of such period, move, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, where the registering authority is sub-ordinate to him, and the Government, where the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, is himself the registering authority, for decision on the proposed amend-ment and the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan or the Government, as the case may be, shall, within thirty days of receipt of such amendment, take a decision thereon and issue necessary and decisive directions to the registering authority, failing which the proposed amendment shall be deemed to be registered.

11. रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव— (1) यदि किसी भी समय रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी सहकारी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग की उपविधियों का संशोधन ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग या उसके सदस्यों के व्यापक हित में या लोकहित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह ऐसे संशोधन के प्रस्ताव सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह अपेक्षा करते हुए भेज सकेगा कि प्रस्ताव पर सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर विचार किया जाये।

(2) जहां सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति से संसूचित करती है वहां रजिस्ट्रार संशोधन का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा और उसका प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, जो सोसाइटी की उपविधियों का भागरूप होगा।

(3) जहां सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार करती है और रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है वहां वह ऐसे इन्कार की संसूचना की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित उस पर विचार के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, संशोधन रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश दे सकेगी और ऐसा संशोधन सोसाइटी और उसके सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

(4) जहां सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने में विफल रहती है वहां ऐसी कालावधि की समाप्ति पर प्रस्तावित संशोधन सोसाइटी द्वारा सम्यक् रूप से पारित किया हुआ समझा जायेगा और रजिस्ट्रार संशोधनों का रजिस्ट्रीकरण करेगा और इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

11. Proposal by Registrar for amendment in the bye-laws.— (1) If at any time, it appears to the Registrar that an amendment of the bye-laws of a co-operative society, or, any class of societies is necessary or desirable in the interest of such society or class of societies or its members at large or in the public interest, he may send the proposals of such amendment to the Chairperson and the Chief Executive Officer of the society, requiring that the proposal be considered in the general body meeting of the society within a period of three months.

(2) Where the society communicates its consent to the proposed amendment, the Registrar may register the amendment and issue a certificate thereof, which shall form part of the bye-laws of the society.

(3) Where the society refuses to accept the proposal of the Registrar and the Registrar is satisfied that it is necessary in the public interest to make such an amendment, he may, within a period of thirty days from the date of communication of such refusal, send the proposal, with reason therefor, to the State Government for its consideration. The State Government may, after giving the society, an opportunity of being heard, direct the Registrar to register the ammendment with such modifications if any, as it may deem fit and such amendment shall be binding on the society and its members.

(4) Where the society, within the period specified under sub-section (1), fails to take a decision on the proposals of the Registrar, on the expiry of such period the proposed amendment shall be deemed to have been duly passed by the society and the Registrar shall register the amendments and issue a certificate to this effect.

12. सहकारी सोसाइटियों की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण, विभाजन और समामेलन— (1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी, कम से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचित करने के पश्चात्, अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा,-

(क) अपनी आस्तियों और दायित्वों का पूर्णत: या भागत: किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अंतरित करने, यदि अन्य सोसाइटी भी साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय का अनुमोदन कर देती है; या

(ख) अपने को दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों में विभाजित करने; या

(ग) कोई नयी सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए अन्य सोसाइटी में समामेलन करने, यदि अन्य सोसाइटी भी अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय का अनुमोदन करती है,

का प्रस्ताव करती है तो ऐसा प्रस्ताव रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रस्ताव सहकारी आंदोलन और लोकहित में है तो वह उसके प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा या अन्यथा उसे अपने संप्रेक्षणों सहित पुनर्विचार के लिए सोसाइटी को वापस भेजेगा।

(2) जहां सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात्, प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करती है और रजिस्ट्रार, यदि उसकी राय में, ऐसा उपांतरित प्रस्ताव उसके संप्रेक्षणों में यथा-

अभिव्यक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तो, प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर उसका अनुमोदन करेगा या अन्यथा नामंजूरी के अपने आदेश से सोसाइटी को संसूचित करेगा।

(3) यदि उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सोसाइटी के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो, सोसाइटी ऐसी कालावधि की समाप्ति से तीस दिन के भीतर-भीतर, अपने आवेदनों पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान को, जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उसका अधीनस्थ है और सरकार को, जहां रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान स्वयं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, समावेदन कर सकेगी और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान या, यथास्थिति, सरकार, आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवश्यक और निश्चायक निदेश जारी करेगी जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव अनुमोदित हुआ समझा जायेगा।

(4) जहां सोसाइटी का प्रस्ताव रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या अनुमोदित किया हुआ समझा जाता है वहां सोसाइटी उसकी सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए अपने सभी सदस्यों और लेनदारों को लिखित नोटिस देगी और किसी भी प्रतिकूल उपविधि या संविदा के होते हुए भी, किसी भी सदस्य या लेनदार को उस पर ऐसे नोटिस के तामील की तारीख से एक मास की कालावधि के दौरान अपने शेयर, निक्षेप या, यथास्थिति, उधार वापस लेने का विकल्प होगा।

(5) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के लिए, जो उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, यह समझा जायेगा कि उसने संकल्प में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों पर अनुमति दे दी है।

(6) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि-

(क) सभी सदस्यों और लेनदारों की उस पर अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है; या

(ख) ऐसे सदस्यों और लेनदारों के सभी दावों, जो उप-धारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर प्रयोग करते हैं, का पूर्णतया चुकारा नहीं कर दिया गया है।

(7) जहां किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित संकल्प में किन्हीं भी आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण अन्तर्वलित है वहां संकल्प, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई और आश्वासन के बिना अन्तरिती में आस्तियों और दायित्वों को निहित करने का पर्याप्त हस्तांतरण होगा।

(8) इस धारा के अधीन किया गया समामेलन, विभाजन या अन्तरण इस प्रकार समामेलित

सोसाइटियों के या इस प्रकार विभाजित सोसाइटी के या अन्तरिती के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या उससे ऐसी कोई भी विधिक कार्यवाहियां त्रुटिपूर्ण नहीं होंगी जो समामेलित या विभाजित सोसाइटियों या अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती हों या प्रारंभ की जा सकती हों और तदनुसार ऐसी विधिक कार्यवाहियां समामेलित सोसाइटी, विभाजित सोसाइटी या, यथास्थिति, अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेंगी या प्रारंभ की जा सकेंगी।

12. Transfer of assets and liabilities, division and amalgamation of co-operative societies.— (1) Where a co-operative society, after having informed the Registrar atleast fifteen days beforehand, by a special resolution passed in its general body meeting, proposes -

(a) to transfer its assets and liabilities in whole or in part to any other co-operative society, if the other society also, by a special resolution passed in its general body meeting approves such decision; or

(b) to divide itself into two or more co-operative societies; or

(c) to amalgamate with another society to form a new co-operative society, if the other society also, by a special resolution passed in its general body meeting approves such decision,

such proposal shall be forwarded to the Registrar in the manner as may be prescribed and if the Registrar is satisfied that such proposal is in the interest of the co-operative movement and the public, he shall approve the proposal within sixty days of its submission or else send it back to the society for reconsideration alongwith his observations.

(2) Where the society, after reconsideration as required under sub-section (1), submits the proposal again, the Registrar shall, if in his opinion such modified proposal meets the requirements as expressed in his observations, approve it within sixty days of submission or else communicate his order of rejection to the society.

(3) If no action is taken on the proposal of the society within the period specified under sub-section (2), the society may, within thirty days from the expiry of such period, move, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, where the registering authority is subordinate to him, and the Government, where the Registrar,

Co-operative Societies, Rajasthan is himself the registering authority, for decision on their application and the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan or the Government, as the case may be, shall, within thirty days of receipt of the application, decide it and issue necessary and decisive directions to the registering authority, failing which the proposal shall be deemed to have been approved.

(4) Where the proposal of the society has been approved by the Registrar or is deemed to have been approved, the society shall give notice containing all the particulars thereof in writing to all its members and creditors and, notwithstanding any bye-law or contract to the contrary, any member or creditor shall, during a period of one month from of the date of service of such notice upon him, have the option of withdrawing his shares, deposits or loans, as the case may be.

(5) Any member or creditor who does not exercise his option within the period specified in sub-section (4) shall be deemed to have assented to the proposals contained in the resolution.

(6) A resolution passed by a Co-operative Society under this section shall not take effect until, either -

(a) the assent thereto of all the members and creditors has been obtained; or

(b) all claims of members and creditors, who exercise the option referred to in sub-section (4) within the period specified therein, have been met in full.

(7) Where a resolution passed by a co-operative society under this section involves the transfer of any assets and liabilities, the resolution shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.

(8) The amalgamation, division or transfer made under this section shall not affect any rights or obligations of the societies so amalgamated, or of the society so divided or of the transferee, or render defective any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the societies which have been amalgamated or divided, or the transferee; and accordingly such legal proceedings may be continued or commenced by or against the amalgamated society, the divided societies or the transferee, as the case may be.

13. रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित इत्यादि में समामेलन, विभाजन और पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव— (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सहकारी आंदोलन के हित में या किसी भी सहकारी सोसाइटी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि दो या अधिक सहकारी सोसाइटियों का समामेलन किया जाना चाहिए या किसी सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या दो या अधिक सोसाइटियां बनाने के लिए विभाजन किया जाना चाहिए वहां धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वह ऐसे गठन, सम्पत्ति के अधिकारों, हितों और प्राधिकारों और ऐसे दायित्वों, ऋणों और बाध्यताओं के साथ, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, इन सोसाइटियों का एकल सोसाइटी में या सोसाइटियों में समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का प्रस्ताव करेगा। रजिस्ट्रार प्रस्तावों को सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तावों पर विचार किये जाने और विनिश्चित किये जाने की अपेक्षा करते हुए भेजेगा।

(2) यदि सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रस्तावों पर अपनी सहमति संसूचित कर दे तो रजिस्ट्रार समामेलन, विभाजन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर कोई विनिश्चय करने में विफल रहती है तो प्रस्तावित समामेलन, पुनर्गठन या विभाजन ऐसी कालावधि की समाप्ति पर, सोसाइटी द्वारा सहमति प्राप्त हुआ समझा जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रार आवश्यक आदेश पारित करेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य में कोई नयी सहकारी सोसाइटी गठित करने के प्रयोजनार्थ किसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार की पूर्व अनुमति से विभाजित करने या पुनर्गठित करने की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित होंगी।

(5) इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि-

(क) प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की प्रति संबंधित सोसाइटी या प्रत्येक सोसाइटी को नहीं भेज दी गई हो,

(ख) रजिस्ट्रार ने प्रारूप पर ऐसे किन्हीं भी सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जो उसे, या तो सोसाइटी से या उसके किसी भी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से या किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, प्राप्त हों, विचार न कर लिया हो और उसमें ऐसे उपान्तरण न कर दिये हों जो उसे वांछनीय प्रतीत हों।

(6) उप-धारा (2) या (3) में निर्दिष्ट आदेश में ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जो रजिस्ट्रार की राय में समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(7) समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित की जाने वाली सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार, जिसने समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन की स्कीम के बारे में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर आपत्ति की है, समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का आदेश जारी होने पर, यदि वह सदस्य है तो, अपना शेयर या हित प्राप्त करने का और यदि वह लेनदार है तो, अपने ऋणों की तुष्टि में रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(8) उप-धारा (2) या (3) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर, धारा 12 की उप-धारा (7) और (8) में अन्तर्विष्ट उपबंध इस प्रकार समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित सोसाइटी पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस धारा के अधीन समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित हो, और समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित सोसाइटी पर भी लागू होंगे।

13. Proposal by Registrar for amalgamation, division and re-organisation in public interest etc.— (1) Where the Registrar is satisfied that it is essential in the public interest or in the interest of the co-operative movement or for the purpose of securing the proper management of any co-operative society that two or more co-operative societies should be amalgamated or any co-operative society should be reorganised or should be divided to form two or more societies then, notwithstanding anything contained in section 12, but subject to the provisions of this section, he shall propose the amalgamation, division or reorganisation, of these societies into a single society, or into societies with such constitution, property rights, interests and authorities and such liabilities, debts and obligations, as may be specified by him. The Registrar shall send the proposals to the Chairperson and the Chief Executive Officer of the society, requiring the proposals to be considered and decided in the general body meeting of the society within a period of three months.

(2) If the society communicates its consent to the proposal made under sub-section (1), the Registrar shall pass the orders of the amalgamation, division or reorganization as the case may be.

(3) If, within the period specified under sub-section (1), the society fails to take any decision on the proposal of the Registrar, the proposed amalgamation,

reorganisation or division shall, on the completion of such period, be deemed to have been consented to by the society and accordingly the Registrar shall pass the necessary orders.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the powers of dividing or reconstituting a co-operative society, after affording it an opportunity of being heard and with the prior approval of the Government, for the purpose of constituting a new co-operative society in the State shall vest in the Registrar.

(5) No order under this section shall be made unless -

(a) a copy of the draft of the proposed order has been sent to the society or each of the societies concerned,

(b) the Registrar has considered and made such modifications in the draft as may seem to him desirable in the light of any suggestions and objections, which may be received by him within such period as the Registrar may fix in that behalf either from the society or from any member or class of members thereof or from any creditor or class of creditors.

(6) The order referred to in sub-section (2) or (3) may contain such incidental, consequential and supplemental provisions as may, in the opinion of the Registrar, be necessary to give effect to the amalgamation, division or reorganisation.

(7) Every member or creditor of each of the societies to be amalgamated, divided or reorganised, who has objected to the scheme of amalgamation, division or reorganisation, within the period specified, shall be entitled to receive, on the issue of order of amalgamation, division or reorganisation, his share or interest if he is a member and the amount in satisfaction of his debts if he is a creditor.

(8) On the issue of an order under sub-section (2) or (3), the provisions contained in sub-sections (7) and (8) of section 12 shall apply to the society so amalgamated, divided or reoraganised as if they were amalgamated, divided or reorganised under that section, and to the society amalgamated, divided or reorganised.

14. कतिपय मामलों में सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण— (1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की सम्पूर्ण आस्तियां और दायित्व धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी दूसरी सहकारी सोसाइटी को अन्तरित कर दिये जायें, वहां प्रथम उल्लिखित सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(2) जहां दो या अधिक सहकारी सोसाइटियां धारा 12 या 13 के उपबंधों के अनुसार किसी नई सहकारी सोसाइटी में समामेलित हो जायें, वहां नई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर समामेलित सोसाइटियों में से प्रत्येक सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और प्रत्येक सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी और निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(3) जहां कोई सहकारी सोसाइटी धारा 12 के उपबंधों के अनुसार अपने आपको दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 13 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा विभाजित की जानी है वहां नई सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जायेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी तथा निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(4) जहां किसी सहकारी सोसाइटी के, जिसके संबंध में धारा 63 के अधीन कोई समापक नियुक्त किया गया हो, कार्यकलाप परिसमापित हो गए हों, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश करेगा और वह सोसाइटी विघटित की हुई समझी जायेगी तथा रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से निगमित निकाय के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(5) जहां, सरकार की जानकारी में यह आये कि कोई सहकारी सोसाइटी, जो धारा 6 उप-धारा (3) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझ ली गई है, धारा 6 की उप-धारा (1) में यथा वर्णित रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है, तो वह, ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार को, ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण विहित रीति से रद्द करने का निदेश दे सकेगी और ऐसे रद्दकरण के पश्चात् सोसाइटी का एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

14. Cancellation of registration certificates of co-operative societies in certain cases.— (1) Where the whole of the assets and liabilities of a co-operative society are transferred to another co-operative society in accordance with the provisions of section 12 or 13, the registration of the first mentioned co-operative society shall be cancelled and that society shall be deemed to have been dissolved and

shall cease to exist as a corporate body.

(2) Where two or more co-operative societies are amalgamated into a new co-operative society in accordance with the provisions of section 12 or 13, the registration of each of the amalgamated societies shall stand cancelled on the registration of the new society and each society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body.

(3) Where a co-operative society divides itself into two or more co-operative societies in accordance with the provisions of section 12 or is to be divided by the Registrar in accordance with the provisions of section 13, the registration of the society shall stand cancelled on the registration of the new societies, and that society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body.

(4) Where the affairs of a co-operative society, in respect of which a Liquidator has been appointed under section 63, have been wound up, the Registrar shall make an order cancelling the registration of the society and the society shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a corporate body from the date of such order of cancellation.

(5) Where it comes to the knowledge of the Government that a Co-operative Society, which has been deemed to be registered under the provisions of sub-section (3) of section 6, does not fulfill the requirements of registration as described in sub-section (1) of section 6, it may, after giving the society an opportunity of being heard, direct the Registrar to cancel the registration of the society in the manner prescribed and after such cancellation, the society shall cease to exist as a corporate body.

❑ ❑